न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—175/2020/223 आर.टी.एक्ट (2020/00175)

1. श्री बजरंग लाल पुत्र स्व0 उंकार (मृतक जरिए वारिसान)
   1/1 नन्दकिशोर पुत्र बजरंगलाल
   1/2 चंपा पुत्री बजरंगलाल
   1/3 चंदा पत्नी बजरंगलाल
2. श्रीमती मांगी पत्नी स्व0 तेजमल आयु 55 वर्ष
3. श्री गणेश पुत्र स्व0 तेजमल आयु 25 वर्ष
4. नन्दू पुत्री स्व0 तेजमल आयु 22 वर्ष सामस्त जातिगण नाई निवासी ग्राम बीर हाल निवासी ग्राम लवेरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्री रामलाल पुत्र स्व उंकार मृतक जरिए वारिसान
   1/1 सीता पत्नी रामलाल जाति नाई
   1/2 देवेन्द्र पुत्र रामलाल जाति नाई
   1/3 नंगिता पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति नाई
   1/4 लोकेश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति नाई
   1/5 गोविन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति नाई
   1/6 रूकमा पुत्री रामलाल जाति नाई
2. श्री रतनलाल पुत्र स्व0 उंकार 68 वर्ष
3. श्री सांवरलाल पुत्र उंकार आयु 64 वर्ष जातिगण नाई निवासी ग्राम बीर हाल निवास ग्राम लवेरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
4. सैयद मुराद अली पुत्र सैयद फजल हुसैन
5. सैयद मकसुद अली पुत्र सैयद फजल हुसैन दोनों जातिगण मुसलमान निवासीगंण बीर तहसील व जिला अजमेर
6. गुलफाम अहमद पुत्र गुलाम अहमद जाति मुसलमान निवासी नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
7. मुमताज बेगम पत्नी मिश्रीशाह जाति मुसलमान निवासी बडी मस्जिद ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर
9. उप—पंजीयन अधिकारी, नसीराबाद कार्यालय तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
10. मनोज कुमार पुत्र भूपसिंह जाति यादव निवासी म.न. 23 ब्लॉक एच, साहब सहारा सिटी गुडगांव (हरियाणा)।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 18.03.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 160/2014

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उपस्थितः—

Scanned with CamScanner

1. श्री सीताराम रावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री अजीतसिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02.
3. श्री एजाज अहमद, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4,5.
4. श्री करण सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5.
5. श्री मदनपुरी गोस्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 7.
6. श्री विकास पराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 8,9.
7. श्री सलमान खान, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 10.
8. रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/6, 3, 6 अनुपस्थित .

निर्णय

दिनांकः—22.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 160/2014 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष अपीलांट/वादीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया। राजस्व वाद को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के द्वारा दिनांक 26.11.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किए गए तथा दिनांक 10.2.2015 को प्रतिवादी संख्या 1,3,7 की एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा पत्रावली प्रतिवादी संख्या 4,5,6 के तलबी हेतु नियत होकर दिनांक 15.01.2015 को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण विचाराधीन रहते हुए दिनांक 14.12.2016 को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत कर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात दिनांक 19.8.2018 को वादी ने आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 6.3.2019 को आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र वादी ने प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 3.4.2019 को प्रतिवादी संख्या 3 की एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए संशोधित शीर्षक व बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 10.4.2019 तारीख पेशी नियत की गई तथा दिनांक 4.3.2020 को प्रतिवादी संख्या 2 एवं 4 व 5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 4, 5 का आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वद दिनांक 18.3.2020 को खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 160/2014 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/6, 3, 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।
4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि दावाकृत भूमि अपीलांटसगण की पिता/दादा ऊंकार की खातेदारी भूमि है तथा अपीलांटगण के राजस्व वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.3.2020 को खारिज किया गया। उक्त आदेश कि जानकारी अपीलार्थीगण को लॉकडाउन हो जाने

Scanned with CamScanner

के कारण समय पर नहीं हो सकी तथा दिनांक 10.9.2020 रेस्पोडेंट द्वारा धमकी दी गई कि जमीन से बेदखल कर देंगे तब जानकारी होने पर दिनांक 14.9.2020 को नकल आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने व नकल प्राप्त करने पर हुआ है तथा जानकारी होते ही अविलंब अपील प्रस्तुत की गई है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.3.2020 को रेस्पोडेंट संख्या 2/प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार कर वादीगण का वाद केवल इस आधार पर खारिज किया गया कि वर्तमान वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित है जबकि पूर्व वाद में किसी प्रकार से कोई जवाब या तनकीयात या साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की गई थी केवल मात्र पूर्ववाद को प्रतिवादीगण द्वारार साजिस रचते हुए इस आधार पर विड्रोल कराया गया कि उनका हक व हिस्सा दे दिया जावेगा इस प्रकार उपरोक्त प्रकरण पर धारा 11 सीपीसी पूर्व न्याय के सिद्धांत के प्रावधान लागू नहीं होते है के बावजूद अपीलाधीन गैर कानूनी तरीके से विधि संबंधित भूल कारित कर पारित किया गया जो अपास्थ किए जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 2 एवं 4 व 5 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में जो कथन किए गए वो वाद कारण से संबंधित व विक्रय–पत्र को निरस्त नहीं करने के संदर्भ में किए गए किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिंदुओं पर किसी प्रकार से कोई निर्णय पारित नहीं कर केवल मात्र पूर्व न्याय के सिद्धांत के आधार पर प्रकरण का निर्णय पारित कर दिया गया तथा वाद विड्रो करने का तकनीकी आधार पर वाद खारिज कराने का निर्णय पूर्व न्याय के सिद्धांत द्वारा बाधित नहीं होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण बिंदु को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया तथा मौजूदा प्रकरण में मेंरिट पर गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं कर गंभीर भूल कारित की गई है, जिससे अपीलाधीन निर्णय अपास्थ किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 160/2014 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2020 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि आराजी मुतनाजा में से खसरा नम्बर 686 रकबा 2–0–0 प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने प्रतिवादी संख्या 2 जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र क्रय कर ली है। उक्त आराजी का खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 ही था। उक्त विक्रय पत्र निरस्त किए बिना प्रकरण में दुरूस्ती की कार्यवाही संभव नहीं है। वादीगण ने वाद इंद्राज दुरूस्ती का पेश किया है। वाद में वर्णित आराजी बाबत पूर्व में न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 7/2002 बउनवानी रामलाल वगै0 बनाम रतनलाल वगै0 वास्ते

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

खातेदारी उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें वर्तमान वादीगण पूर्व वद संख्या 7/2002 में वादीगण के रूप में पक्षकार मुर्तिब थे। उक्त वाद वर्तमान वादीगण ने दिनांक 19.11.05 को विड्रो करते हुए निरस्त करवाया जा चुका है। उक्त दिनांक 19.11.05 का आदेश आज भी प्रभावी है। वर्तमान वाद में किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न होना सिद्ध नहीं होता है। वाद पत्र में वाद कारण दिनांक 21.12.01 तत्पश्चात 25.12.01 व 31.12.01 को उत्पन्न होना बताया गया है। तत्पश्चात पश्चातवर्ती वाद में दिनांक 22.9.14 को फिर जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर वाद कारण उत्पन्न होना बताया है जबकि जमाबंदी की नकल दिनांक 21.12.01 को प्राप्त होने पर वाद प्रस्तुत किया गया था जो निरस्त फरमाया जा चुका है। जिसमें दिनांक 22.9.14 को वाद कारण के अभाव में वाद निरस्त योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4, 5, 7, 10 ने अपील जवाब/बहस में अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा की गई बहस का समर्थन करते हुए उक्त कथनों पर अपनी सहमति प्रदान की व उनके द्वारा की गई बहस को विधि सम्मत मानते हुए अपनी सहमति प्रदान कर न्यायालय से अनुरोध किया कि अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– एआईआर 2005 एससी 3799, डीएनजे 2006 पेज 764, आरबीजे 2022 एससी 535, आरआरडी 2019 पेज 592, 672।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं। अतः न्यायहित में प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

10. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय राजीनामें से होना कथन करते हुए निर्णय किया है जबकि पत्रावली में कोई तस्दीकशुदा राजीनामा पेश नही है तथा दोनों दावों में वाद कारण भिन्न–भिन्न है, तथा दोनों दावे अलग–अलग धाराओं अलग–अलग अनुतोष के साथ पेश किए गए हैं पूर्व वाद का निर्णय मेरिट पर होना प्रतीत नहीं होता है। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने वाद संख्या 160/2014 को अपने आदेश दिनांक 18.3.2020 के द्वारा पूर्व न्याय के सिद्धांत के आधार पर अपीलांट/वादी के वाद को खारिज करने में कानूनी भूल की है। उपरोक्त कारणों से उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

11. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है, व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 160/2014 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2020 को निरस्त किया

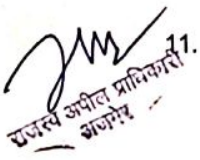

Scanned with CamScanner

जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेकर उभयपक्ष की उपस्थिति में साक्ष्य, सुनवाई कर दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर, तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण कर, प्रकरण को पुनः वाद पत्र को गुणावगुण पर निर्णित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner